संoसंo–9/आo–1–29/2009 – 244(9)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डाo (श्रीमती) निखत आफरीन तत्कालीन महिला चिकित्सा पदाधिकारी, गर्दनीबाग, अस्पताल, पटना सम्प्रति (निलंबित) सिविल सर्जन कार्यालय, पटना को विभागीय पत्रांक 302(3) दिनांक 24.4.96 द्वारा दो माह के लिये हज करने हेतु अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई थी। हज के लिये दिनांक 15.5.96 द्वारा गर्दनीबाग अस्पताल से विरमित हुई। तत्पश्चात् डाo (श्रीमती) आफरीन दिनांक 6.11.2007 में विभाग में योगदान करने पश्चात् विभाग में कभी भी उपस्थित नहीं हुई, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संo 455(9) दिनांक 10.4.13 द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संo 472(9) दिनांक 15.4.13 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. डाo (श्रीमती) आफरीन का दावा मानने योग्य नहीं था, कि अपनी अवकाश अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन पत्र दिया था और इसकी प्रतीक्षा में सउदी अरब में ही रह गयी। डाo (श्रीमती) आफरीन वही से अपनी पुत्री के ईलाज कराने के लिये अमेरिका चली गई और लगभग 10 (दस) वर्षो के बाद स्वदेश लौटकर विभाग में दिनांक 6.11.2007 को विभाग में योगदान दिया गया।

3. डाo आफरीन दिनांक 06.11.2007 को विभाग में योगदान के पश्चात् कभी भी विभाग में उपस्थित नहीं हुई। "बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के अनुसार 05 वर्षो से अधिक अवधि तक लगातार सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिये सेवा से बर्खास्त करने का आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

4. डाo आफरीन ने स्वयं स्वीकार की है कि संविदा चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उन्होने आवेदन पत्र दिया और चयनीत होने के उपरांत जनवरी 2009 से संविदा के आधार पर चिकित्सक के रूप में कार्य करने लगी। सम्प्रति वे अभी निलंबित है।

5. सरकारी सेवकों के लिये निर्धारित आचार संहिता का यह घोर उल्लंघन है। इन्होनें पहली सरकारी सेवा से बिना त्यागपत्र दिये राज्य सरकार के अधीन एक दूसरी नौकरी संविदा

पर स्वीकार कर ली और कार्यरत हो गयी। डा0 अफरीन का यह कार्य बिहार सेवा संहिता के नियम–76 से अच्छादित है।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम (जॉच प्रतिवेदन) एवं आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त अनुबंध में गठित आरोप प्रमाणित पाये गये है।

7. डा0 (श्रीमती) निखत आफरीन, तत्कालीन महिला चिकित्सा पदाधिकारी, गर्दनीबाग, अस्पताल, पटना सम्प्रति (निलंबित) सिविल सर्जन कार्यालय, पटना को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, की सहमति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

स्वा0 विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांकः 244(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 01/3/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/ मुजफ्फरपुर / सिविल सर्जन कार्यालय पटना/मुजफ्फरपुर /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 (श्रीमती) निखत आफरीन तत्कालीन महिला चिकित्सा पदाधिकारी, गर्दनीबाग, अस्पताल, पटना सम्प्रति (निलंबित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना के उनके पत्रांक 1758 दिनांक 08.10.15 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1.3.16

सरकार के अवर सचिव

D:\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx